समक्ष पीठ – राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ संख्या– 20, डोईवाला जिला देहरादून।

स्थान :– न्यायालय परिसर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट डोईवाला।

पीठ संख्याः–20

फौजदारी वाद/सी0जी0 सं०:–414/2022

वाद की प्रकृति :–शमनीय आपराधिक

उपस्थित

अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ :–सांची अग्रवाल, सविल जज (जू०डि०), डोईवाला।

सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत पीठः–सोनम।

पंचाट/आदेश

पुकारा गया। आज यह पत्रावली न्यायालय जे०एम०/ सिविल जज (जू०डि०), डोईवाला के न्यायालय से संदर्भित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ संख्या–20 वर्तमान पीठासीन अधिकारी जे०एम०/ सिविल जज (जू०डि०), डोईवाला के समक्ष आदेश हेतु पेश हुई।

प्रार्थी/परिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 257 सीआरपीसी प्रस्तुत करते हुए यह अभिकथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थी, परिवादी है तथा परिवादी का अभियुक्त से राजीनामा हो गया है तथा प्रार्थी/परिवादी उक्त वाद को अब आगे चलाना नहीं अहिता है तथा मुकदमें को बल नहीं देना चाहता है। अतः उपरोक्त वाद की कार्यवाही राजीनामे के आधार पर वाद पर बल न दिये जाने/वाद वापस लिये जाने के कारण उक्त वाद निर्णित किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी/परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चैक की धनराशि परिवादी को मिलने पर वाद वापसी के आधार पर मामले के निस्तारण की याचना की गयी है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138, पराकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग जो कि शमनीय प्रकृति का है। चूंकि परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य पैसे का लेन देन हो चुका है के आधार पर मामला का शमन हो चुका है। अतः मामलें शमन के आधार पर निस्तारित किया जाता है। **माननीय उच्चतम न्यायालय के अभिनिर्णय मध्यप्रदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम प्रतीक जैन व अन्य 2014 (10) एस०सी०सी० 690** में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में पक्षकारों के सकरात्मक व्यवहार को देखते हुए हर्जे की राशि परित्यक्त की जाती है। आदेश तदानुसार–

आदेश

परिवादी एंव अभियुक्त के मध्य शमन के आधार पर फौजदारी परिवाद का निस्तारण किया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त को धारा 138 प्रकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अधीन दण्डनीय अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

पत्रावली अभिलेखागार संचयित करने हेतु संबंधित न्यायालय को प्रेषित हो।

सदस्य/अधिवक्ता **अध्यक्ष**

कु0 सोनम **(सांची अग्रवाल)**
अधिवक्ता सदस्य **न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट**
लोक अदालत पीठ संख्या–20

डोईवाला, देहरादून।